भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.3364
(जिसका उत्तर सोमवार, 16 दिसंबर, 2024/25 अग्रहायण, 1946(शक) को दिया जाना है)

'नया पैन कार्ड'

3364. **श्री चरनजीत सिंह चन्नीः**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) नए पैन कार्ड शुरू करने के पीछे क्या औचित्य है जबकि मौजूदा पैन कार्ड में सत्यापन के लिए पहले से ही एक क्यूआर कोड है;

(ख) क्या सरकार ने नए पैन कार्ड से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं कि गरीब व्यक्ति बिना किसी कठिनाई अथवा अतिरिक्त लागत के नया पैन कार्ड प्राप्त कर सकें;

(घ) क्या सरकार ने नए पैन कार्ड को शुरू करने के संबंध में लागत-लाभ का विश्लेषण कराया है;

(ड.) नई पैन कार्ड प्रणाली को लागू करने में अनुमानतः कितना व्यय होगा;

(च) क्या सरकार का सार्वजनिक धन की बर्बादी के बारे में चिन्ताओं का समाधान करने और अनावश्यक खर्चों से बचने के लिए विकल्प उपलब्ध कराने का विचार है;

(छ) क्या सरकार ने नई पैन कार्ड प्रणाली के कार्यान्वयन की व्यावहारिकता का आकलन करने के लिए हितधारकों के साथ परामर्श किया है; और

(ज) वर्तमान पैन कार्डधारक नागरिकों के लिए निर्बाध परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) पैन 2.0 परियोजना आयकर विभाग (आईटीडी) की एक ई-गवर्नेंस परियोजना है, जिसका उद्देश्य करदाता पंजीकरण सेवाओं की व्यावसायिक प्रक्रियाओं को पुन: तैयार करना है। इस परियोजना के तहत, आयकर विभाग नवीनतम तकनीकों का लाभ उठाते हुए पैन/टैन सेवाओं से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को समेकित कर रहा है। पैन 2.0 परियोजना प्रक्रिया को सरल बनाने पर केंद्रित है, जिससे करदाताओं के लिए सेवा प्रदानगी में तेजी, प्रभावी शिकायत निवारण और संवेदनशील डेटा की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करके समग्र अनुभव को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा, क्यूआर कोड कोई नई सुविधा नहीं है और इसे 2017-18 से पैन कार्ड में शामिल किया गया है। इसे पैन 2.0 परियोजना के तहत संवर्द्धन के साथ जारी रखा जाएगा (डायनेमिक क्यूआर कोड जो पैन डेटाबेस में मौजूद नवीनतम डेटा प्रदर्शित करेगा)।

(ख) चूंकि मौजूदा पैन धारकों को न तो नए पैन के लिए आवेदन करने की आवश्यकता है और न ही पैन 2.0 के तहत नया पैन कार्ड प्राप्त करने की आवश्यकता है, इसलिए समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों सहित पैन धारकों पर कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा।

(ग) मौजूदा पैन धारकों को पैन 2.0 परियोजना के तहत नया पैन कार्ड प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। पैन 2.0 परियोजना के शुरू होने के पश्चात, पैन के आवंटन/अद्यतन और ई-पैन जारी करने के लिए प्राप्त संभावित अनुरोधों का प्रसंस्करण निःशुल्क किया जाएगा। केवल उस स्थिति में, जब पैन आवेदक भौतिक पैन कार्ड का विकल्प चुनता है, भुगतान करने की आवश्यकता होती है।

(घ) मौजूदा पैन/पैन कार्ड पैन 2.0 के तहत वैध बने रहेंगे, जो आयकर विभाग (इसके बाद 'आईटीडी') की पैन/टैन प्रक्रियाओं को फिर से तैयार करने की एक परियोजना है। पैन 2.0 के अंतर्गत मौजूदा कार्डों के स्थान पर कोई नया पैन कार्ड पेश नहीं किया गया है। इसके अलावा, ऐसी प्रक्रिया पुनः इंजीनियरिंग की अनुमानित लागत और अपेक्षित लाभों का विश्लेषण किया गया और उसके आधार पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की गई, जिसका मूल्यांकन किया गया और सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) द्वारा इसकी अनुशंसा की गई तथा व्यय विभाग (डीओई) द्वारा इसे आगे समर्थन दिया गया।

(ड.) पैन 2.0 के तहत मौजूदा कार्डों को बदलने के लिए कोई नया पैन कार्ड पेश नहीं किया गया है। पैन 2.0 परियोजना की अनुमानित लागत 1435 करोड़ रुपये है।

(च) पैन 2.0 परियोजना का उद्देश्य संभावित आवंटन/अद्यतन के लिए पैन/टैन सेवाओं से संबंधित व्यावसायिक प्रक्रियाओं की पुनः इंजीनियरिंग करना है तथा पहले से जारी पैन कार्ड के स्थान पर कोई नया पैन कार्ड प्रस्तावित नहीं किया गया है। यह उन्नयन करदाताओं की बेहतर सेवाओं के हित में है और इसमें जनता के पैसे की बर्बादी नहीं होगी। इसलिए, इस परियोजना में कोई अनावश्यक व्यय शामिल नहीं है।

(छ) जी हाँ, पैन 2.0 परियोजना के लिए आईटीडी, यूआईडीएआई, सेबी, आरबीआई, एमसीए, जीएसटीएन आदि के क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ परामर्श किया गया। इसके अलावा, परियोजना का मूल्यांकन स्थायी तकनीकी समिति (एसटीसी) द्वारा किया गया है तथा भारत सरकार के अधिकार प्राप्त प्रौद्योगिकी समूह (ईटीजी) द्वारा इसका मूल्यांकन और समर्थन किया गया है।

(ज) नागरिकों के पास पहले से मौजूद पैन कार्ड वैध बने रहेंगे। इसलिए, नागरिकों को चलू/मौजूदा पैन कार्ड से बदलाव की कोई आवश्यकता नहीं है।

******